

अल्पकालिक निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 11वीं माहिनी पीएसी, के आवासीय परिसर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानक मद-29 अनुक्षण (मरम्मत) के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य आगणन के अनुसार कराया जाना है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कराये जाने वाले कार्य की धनराशि (आगणन के अनुसार)
		50000.00
1	शिविरपाल के किचन में टाइल्स, मरम्मत का कार्य।	49954.55
2	(ब्लॉक नं 40 पार्ट 1) रोज लाइन के 04 आवासों के चारों तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	49954.55
3	(ब्लॉक नं 40 पार्ट 11) रोज लाइन के 04 आवासों के चारों तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	49954.55
4	(ब्लॉक नं 41 पार्ट 1) रोज लाइन के 04 आवासों के चारों तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	49954.55
5	(ब्लॉक नं 41 पार्ट 11) रोज लाइन के 04 आवासों के चारों तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	49954.55
6	(ब्लॉक नं 42 पार्ट 1) रोज लाइन के 04 आवासों के चारों तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	49954.55
7	(ब्लॉक नं 42 पार्ट 11) रोज लाइन के 04 आवासों के चारों तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	49954.55
8	रोज लाइन टाइप (पीसी लाइन) के आवास संख्या 22 के 02 दरवाजा मय चौखट व खिड़की का कार्य	31910.33
9	पीसी लाइन टाइप 111 आवास संख्या 24 में 04 दरवाजा लगाये जाने का कार्य, खिड़की मरम्मत व छत मरम्मत का कार्य	49298.57
10	रोज लाइन टाइप पीसी लाइन) के आवास संख्या 31 में 02 दरवाजा, छत मरम्मत, खिड़की व फर्श की मरम्मत का कार्य।	46878.14
11	मनरलाइन टाइप 2 आवास सं 10 में छत मरम्मत, दरवाजा, रंगाई पुताई का कार्य	43754.43
12	रोज लाइन टाइप 1 के आवास संख्या 120 के 04 दरवाजा, खिड़की, लेट्रीन मरम्मत का कार्य।	44116.73
13	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 150 में पीछे व आंगन का दरवाजा लगाये जाने का कार्य	18389.71
14	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 194 में लेट्रीन सीट, फर्श प्लास्टर व पीछे का दरवाजा	30086.12
15	रोज लाइन टाइप 01 आवास सं 212 में फर्श मरम्मत, 02 दरवाजे व लेट्रीन सीट का कार्य	39948.86
16	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 218 में दरवाजा व खिड़की का कार्य	14558.08
17	रोज लाइन आवास 228 टाइप प्रथम में 03 दरवाजा लगाया जाने का कार्य	28929.63
18	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 234 में लेट्रीन का दरवाजा, फर्श की मरम्मत का कार्य	25069.97
19	रोज लाइन टाइप प्रथम आवास 258 में 03 दरवाजा, छत की मरम्मत व प्लास्टर, रंगाई पुताई का कार्य	49743.12
20	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 262 में पीछे का दरवाजा लगाये जाने का कार्य	11869.02
21	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 280 में 02 दरवाजा लगाये जाने का कार्य	19057.6
22	बाबू लाइन टाइप प्रथम आवास 59 में दरवाजा मय चौखट का कार्य	9528.80
23	बाबू लाइन टाइप 1 आवास सं 61 में 02 दरवाजे लगाये जाने का कार्य, फर्श की मरम्मत का कार्य	27260.85
24	बाबू लाइन टाइप 1 आवास सं 62 में 03 दरवाजे व आंगन की फर्श मरम्मत का कार्य	27260.85
25	बाबू लाइन टाइप 1 आवास सं 63 में बाथरूम की फर्श व लेट्रीन की छत मरम्मत का कार्य।	8904.74
26	बाबू लाइन टाइप प्रथम आवास सं 66 में फर्श, बाथरूम की छत मरम्मत का कार्य	17050.40
27	बाबू लाइन टाइप प्रथम आवास सं 68 में फर्श, बाथरूम का दरवाजा व खिड़की के पल्ले लगाये जाने का कार्य।	17050.40
28	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 323 01 दरवाजा लगाये जाने का कार्य।	9528.80
29	रोज लाइन टाइप प्रथम आवास 342 में 02 दरवाजा, खिड़की, प्लास्टर, रंगाई पुताई का कार्य	35274.28
30	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 338 में आंगन व लेट्रीन का दरवाजा लगाये जाने का कार्य	16980.17
31	रोज लाइन टाइप 1 आवास सं 340 में छत की मरम्मत का कार्य व रंगाई पुताई का कार्य	17570.59
32	रोज लाइन टाइप प्रथम आवास 345 में 03 दरवाजा, खिड़की का कार्य, प्लास्टर व रंगाई	49689

33	पुताई का कार्य रोज लाइन टाइप प्रथम आवास 346 में 01 दरवाजा, फर्श का कार्य	25069.97
34	रोज लाइन टाइप 1 आवास स0 377 में 01 दरवाजा लगाये जाने का कार्य	9528.8
35	रोज लाइन टाइप 1 आवास स0 382 में 02 दरवाजा व खिड़की का कार्य	25583.3
36	(ब्लॉक न0 40 पार्ट I) रोज लाइन के 04 आवासों के चारो तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	35724.3
37	(ब्लॉक न0 40 पार्ट II) रोज लाइन के 04 आवासों के चारो तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	17552.23
38	(ब्लॉक न0 41 पार्ट I) रोज लाइन के 04 आवासों के चारो तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	32970.09
39	(ब्लॉक न0 41 पार्ट II) रोज लाइन के 04 आवासों के चारो तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	25479.61
40	(ब्लॉक न0 42 पार्ट I) रोज लाइन के 04 आवासों के चारो तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	9528.8
41	(ब्लॉक न0 42 पार्ट II) रोज लाइन के 04 आवासों के चारो तरफ बाहरी भाग तथा बाउण्ड्री बाल की बाहर की रंगाई -पुताई	15546.44
42	रोज लाइन टाइप (पीसी लाइन) के आवास संख्या 22 के 02 दरवाजा मध्य चौखट व खिड़की का कार्य	28579.14
43	पीसी लाइन टाइप III आवास संख्या 24 में 04 दरवाजा लगाये जाने का कार्य, खिड़की मरम्मत व छत मरम्मत का कार्य	38201.36
44	रोज लाइन टाइप पीसी लाइन के आवास संख्या 31 में 02 दरवाजा, छत मरम्मत, खिड़की व फर्श की मरम्मत का कार्य ।	18889.91
45	गनरलाइन टाइप 2 आवास स0 10 में छत मरम्मत, दरवाजा, रंगाई पुताई का कार्य	21560
46	रोज लाइन टाइप I के आवास संख्या 120 के 04 दरवाजा, खिड़की, लेट्रीन मरम्मत का कार्य ।	9528.8
47	रोज लाइन टाइप 1 आवास स0 150 में पीछे व आंगन का दरवाजा लगाये जाने का कार्य	19057.6
48	रोज लाइन टाइप 1 आवास स0 194 में लेट्रीन सीट, फर्श प्लास्टर व पीछे का दरवाजा	28579.14
सम्पूर्ण योग		1400815.98

अतः उपरोक्त कार्य मानक मद-29 अनुरक्षण (वार्षिक मरम्मत) के अन्तर्गत कराये जाने हेतु निविदा दिनांक: 25/10/2026 को समय 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो तद्दिनांक को ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत किये गये राजपत्रित अधिकारी द्वारा समय 14:00 बजे खोली जायेगी, इच्छुक ठेकेदार नियत तिथि के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा की शर्तें

- 1- निविदा फार्म दिनांक: 17/10/2026 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांयकाल 1600 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रू0 100/- जमा कर पत्र शिविरपाल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 2- उपरांकित प्रत्येक कार्य हेतु निविदा दिनांक: 25/10/2026 को 1200 बजे तक डाली जायेगी।
- 3- निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा। साथ ही सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार की जायेगी।
- 5- ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदा दाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा क उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।
- 6- उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्त निर्देश एवं आगणन, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर के कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 7- वह ठेकेदार जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, वह तत्काल अनुबन्ध पत्र भरेगा। ऐसा न करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।
- 8- ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य की भली भाँति निरीक्षण कर ले, तथा कार्य की जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा बाद में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 9- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 10- विलम्ब अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 11- ठेकेदार को एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी स्वीकृत धनराशि से कटौती करने के उपरान्त किया जायेगा।
- 12- इसी चालू वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 13- निविदा अघोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसी दिन दोपहर 14:00 बजे खोली जायेगी।
- 14- निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।
- 15- वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी कार्य पूर्ण करने का अनुबन्ध पत्र 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदा रद्द कर दी जायेगी। वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकृत कर ली गयी है। वह कार्य प्रारम्भ करने के आदेश में विलम्ब होने की दशा में अपनी निविदा को परिवर्तित करने का दावा नहीं कर सकेगा।
- 16- बिना कारण बताये अघोहस्ताक्षरी के पास समस्त अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 17- वह व्यक्ति/ठेकेदार जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी। वह अघोहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश की तिथि/अनुबन्ध में अंकित तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा। तथा नियत तिथि पर कार्य पूर्ण कर अघोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगा।
- 18- अघोहस्ताक्षरी न्यूनतम/अधिकतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा उसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- 19- यदि ठेकेदार के विषय में अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आती है तो उसको नोटिस देकर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 20- ठेकेदार द्वारा यदि पानी बिजली का उपभोग किया जाता है तो नियमानुसार उपभोग की धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा अन्तिम भुगतान से उक्त धनराशि की कटौती की जायेगी।
- 21- ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में पेनाल्टी धनराशि अघोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। जो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती की जायेगी।
- 22- किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जनपद-सीतापुर होगा।
- 23- निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त आगामी 01 माह में उपरोक्त कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में पेनाल्टी के तौर पर धनराशि निर्धारित की जायेगी।

पत्र संख्या: म-113/2026

दिनांक:


15.10.26
सेनानायक
11वीं वाहिनी पीएसी
सीतापुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- ✓ कंट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें। (सीडी संलग्न है।)
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मध्य जोन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, लखनऊ अनुभाग, लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/जिला उद्योग अधिकारी जनपद-सीतापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए प्रचार प्रसार कराने का भी कष्ट करें।
- 6- सेनानायक, 2वीं/27वीं/एपीटीसी/पीटीसी/पुलिस अधीक्षक सीतापुर।
- 7- जोनल अवर अभियन्ता, पीएसी मध्य जोन उ0प्र0 लखनऊ।